From No. III

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजसिंह बनाम शिवनारायण वगै0

तारीख हुक्म	हुक्म का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज प्रार्थना पत्र –212 संख्या 219 वर्ष 2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
20.10.2020	आज यह पत्रावली मूल वाद के साथ पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी दिनांक 25.11.2020 तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्दरोजा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 664/0.11, 603/0.15, 604/0.04है0वाके ग्राम सलारपुर, 94/0.80, 446/96/0.10, 117/0.71है0 वाके ग्राम खुशखेडा, 324/0.25है0 वाके ग्राम दांगनहेडी, 561/14/0.47है0 वाके ग्राम टपूकडा पर प्रश्नगत आराजी को मुन्तकिल एवं रहन, बय न करें। क्यो न उक्त आदेश ताफैसला वाद Absolute कर दिया जावें ? कोई उज्र हो तो आप स्वयं अथवा जर्ये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जबाब पेश करे। वकील प्रार्थी वास्ते तलबी अप्रार्थी के नोटिस तलबाने जारी करा पो0 रसीद 07 दिवस में पेश करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है पत्रावली वाद के साथ पेश हो। 20/10/20 उपखण्ड अधिकारी तिजारा(अलवर)	

26/10/20 पत्रावली प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तलब होकर पेश हुई। वादी का वाद वादी के प्रार्थना पत्र पर खारिज किया जा चुका है अतः यह प्रार्थना पत्र भी खारिज किया जाता है। पत्रावली संलग्न मूलवाद हो।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०